पत्रांक- बा0नि0रूपां0प्र0-तक0-(अना0)-02-204/2025-

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक:-

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय:- ***दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक (34.532 कि0मी0 की लम्बाई में) जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।***

प्रसंग:- ***आपका पत्रांक-507 दिनांक-22.02.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना परिक्षेत्राधीन गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा अंतर्गत दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक (34.532 कि0मी0 की लम्बाई में) जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत जलीय आँकड़ो एवं शर्तो के साथ निर्गत की जाती है:-

जलीय आँकड़ा:-

- जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना में संरचनाओं का रुपांकण दीघा-सोनपुर के पुल के समीप MORTH एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में दीघा घाट पर गंगा नदी हेतु निर्धारित किये गये निम्नांकित जलीय आंकड़ों के अनुरुप किया जाय:-

Sl. No.	Hydrological Parameters	Data
1	Name of the River	Ganga
2	Design Discharge of River	97000 Cumec
3	LWL of River	43.50 M
4	HFL of River	52.52 M (Digha Ghat) 52.70 M (Chhitnawa) 53.79 M (Maner)

शर्त:-

1. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक (36.65 कि0मी0 लम्बाई में) जे0 पी0 गंगा पथ के विस्तार परियोजना की प्रतिवेदित कुल लम्बाई 36.65 कि0 मी0 के स्थान पर वास्तविक रुप से निर्धारित किये गये कुल लम्बाई 34.532 कि0 मी0 हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निमित्त प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धान्तिक सहमति निर्गत किया जा रहा है।

En-in-ch., Patna new

2. परियोजना के चैनेज–7+500 पर शाहपुर के समीप अवस्थित Anti Flood Sluice (AFS) पर, जिसका Discharge 8.50 Cumec एवं Bed Width–8.00 मीटर है पर Second Trumpet Interchange का प्रावधान किया गया है, उक्त Second Trumpet Interchange के Location पर पुर्नविचार किया जाय क्योंकि यह जल संसाधन विभाग का एक अति महत्वपूर्ण Anti Flood Sluice (AFS) पर प्रस्तावित है, जिसके River Side एवं Country Side में Gate प्रावधानित है एवं उक्त Anti Flood Sluice (AFS) पर ही Trumpet Interchange प्रावधानित होने के कारण Trumpet Interchange के उपयोग हेतु Approach Road की अपरिहार्यता के कारण Anti Flood Sluice (AFS) के River Side का Gate अक्रियाशील हो जायेगा, जिससे High Flood के दौरान विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकता है, जिसके संबंध में उक्त Anti Flood Sluice (AFS) को क्रियाशील रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई/संरचनात्मक प्रावधान किये जाने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवेलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
3. जे0 पी0 गंगा पथ के चैनेज–17+488 (सादिकपुर) से चैनेज–23+450 (रामपुर दियारा) तक का प्रस्तावित नये Greenfield Embankment में दीघा-मनेर तटबंध के सादिकपुर (तटबंध चैनेज-18.90 कि0 मी0) से हरिहरनगर बालू पर मनेर (तटबंध चैनेज-24.57 कि0 मी0) तक अवस्थित कुल 17 (सतरह) Single Vent के Anti Flood Sluice (AFS) है, जिसके संबंध में प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे जल संसाधन विभाग के तटबंध एवं प्रस्तावित परियोजना के At-Grade Greenfield Embankment के मध्य अवस्थित आबादी क्षेत्र में Water Logging हो जाने की सम्भावना है, उक्त के संबंध में प्रावधान किया जायेगा।
4. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के चैनेज–17+488 से चैनेज–34+532 तक At-Grade 4-लेन पथ के Service Road का Finished level Nearby तटबंध के HFL से अधिक हो एवं Carriage Way का Finished level Nearby तटबंध के HFL+Free Board से अधिक होना चाहिए।
5. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के कारण Patna Town Protection (PTP) Wall तक, दीघा-मनेर तटबंध एवं सैदाबाद-मनेर तटबंध पर अवस्थित किसी भी प्रकार के Anti Flood Sluice (AFS) एवं संरचना के प्रभावी तथा सुगम संचालन में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं हो एवं प्रस्तावित निर्माण के उपरान्त उक्त सभी का संचालन एवं स्वामित्व जल संसाधन विभाग का होगा।
6. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के अन्तर्गत Patna Town Protection (PTP) Wall एवं दीघा-मनेर तटबंध पर अवस्थित किसी भी प्रकार के Anti Flood Sluice (AFS) के चैनेल में प्रस्तावित ऐलिवेटेड रोड संरचना का Pier का Construction नहीं किया जायेगा।
7. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के अन्तर्गत सैदाबाद-मनेर तटबंध पर अवस्थित 09 (नौ) Anti Flood Sluice (AFS) का पुर्नस्थापन कार्य पथ की महत्ता के दृष्टिगत समुचित Load एवं जल प्रवाह का आंकलन कर किया जाय, जो वर्तमान प्रावधानित Waterway से न्यून नहीं होना चाहिए।
8. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य भारतीय मानक संहिताओं एवं अन्य संबंधित संगठनों द्वारा निर्धारित किये गये मानकों एवं विशिष्टि के अनुरुप क्रियान्वित कराये जाने का सम्पूर्ण दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
9. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु Mathmatical Modelling कराया जाना आवश्यक होगा। जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के निर्माण से Patna Town Protection Wall, दीघा-मनेर तटबंध एवं सैदाबाद-मनेर तटबंध पर यदि भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

तो इस हेतु सम्पूर्ण व्यय का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवेलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

10. इस दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान सभी अपेक्षित सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायों का पूर्णत: अनुपालन करना/कराना होगा। कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का अड़चन/दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना की होगी।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या-645 दिनांक 24.02.2022 (संशोधित पत्र) की कंडिका-23 की उपविधि (1) से (4) तक PTP Wall से संबंधित दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

12. प्रस्तावित कार्य से Patna Town Protection Wall, दीघा-मनेर तटबंध एवं सैदाबाद-मनेर तटबंध पर अवस्थित सभी AFS गेटों का संचालन, साफ-सफाई, रिपेयरिंग तथा उससे पानी बहाव में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इसे सुचारु एवं प्रभावी कराने का सम्पूर्ण व्यय बिहार स्टेट रोड डेवेलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को वहन करना पड़ेगा।

13. गंगा नदी एवं सोन नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से As Per IS Code11532:1995 के अनुसार बाँध के किसी भी Toes से 25 मीटर की दूरी तक मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।

14. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य निमित्त आवश्यक कार्य यथा डायर्भसन सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को स्वयं के व्यय पर करना होगा। कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।

15. नदी की Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

16. कार्य के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। बाढ़ अवधि में किसी भी प्रकार के कार्य कराने की अनुमति नहीं होगी।

17. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तो उक्त के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।

18. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले भाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वमित्व यथावत् बना रहेगा।

19. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य के पश्चात् पथ की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा ।
20. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य के समय जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।
21. जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।
22. दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोईलवर पुल के पहुँच पथ) तक जे0 पी0 गंगा पथ विस्तार परियोजना का निर्माण में किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
23. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक-यो०मो०-4(विविध)07-372/2020 पार्ट-II-143/पटना दिनांक-06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
24. विभागीय पत्रांक-608, दिनांक-05.08.2024 की कंडिका-7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
25. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग, बिहार की तरफ से है। उक्त के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय संगठनों/आयोगों एवं बिहार सरकार के अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
26. जल संसाधन विभाग के इस क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों द्वारा ऑयल एवं गैस पाईप लाईन Laying किया गया है उक्त कम्पनियों से सम्पर्क कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व बिहार स्टेट रोड डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना का होगा।
27. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तो को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना होगा।
28. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि **''प्रस्तावित संरचना का रुपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।''**
29. उपर्युक्त शर्तो के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त निर्गत सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

√

En-in-ch., Patna new

पत्रांक:- बा0नि0रूपां0प्र0-तक0(अना0)-02-204/2025　　　　　　　　　दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित ।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बा0नि0रूपां0प्र0-तक0(अना0)-02-204/2025　　　　　　　　　दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना / कार्यपालक अभियंता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, दीघा एवं कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक:- बा0नि0रूपां0प्र0-तक0(अना0)-02-204/2025 163　　　　　　　　　दिनांक:- 07/05/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

05/5/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

En-in-ch., Patna new